



उद्योगों से लिये जाने वाले सहमति शुल्क हेतु प्राप्त किये जाने वाली बैलेंस शीट में विनियोजन की गणना का आधार।

उद्योगों से प्राप्त की जानी वाली गणनी निम्न सूत्र के अनुसार किये जाने का प्रावधान है

Fixed Assets (FA)	Rs in Lakh/ Crore
Current Assets (CA)	Rs in Lakh/ Crore
Current Liabilities (CL)	Rs in Lakh/ Crore
Net Asset Value =	F.A.+ C.A.- C. Liability

उपरोक्त आंकलन से प्राप्त होने वाली नेट वेल्यू पर ही नवीनीकरण सहमति आवेदन पर संचालनार्थी सहमति शुल्क देय होगा।

स्थापनार्थ सहमति व प्रारम्भिक संचालनार्थी सहमति के संबंध में कुल परियोजना लागत के अनुसार शुल्क लिया जाता है।

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं  
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड